समस्त पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नही। पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

दूरभाष : 2527532
तार : युनिव्हर्सिटी
फेक्स : 0731–529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर – 452 001

क्र./डी.सी.डी.सी./AISHEजानकारी/2024/493 दिनांक 12 FEB 2024

//महत्वपूर्ण पत्र//

प्रति,

प्राचार्य/संचालक,
वि.वि. से सम्बद्ध समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय,
इन्दौर, धार, झाबुआ, खरगोन, खण्डवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, बड़वानी म.प्र.।

विषयः– ऑल इण्डिया सर्वे ऑन हायर एज्युकेशन (AISHE) की पोर्टल पर वर्ष 2022–23 की जानकारी अपलोड करने के संबंध में।

संदर्भः– स्टेट नोडल अधिकारी AISHE उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 146/आउशि/AISHE/2024 दिनांक 10/01/2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में सूचित किया जाता है कि "अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण" (AISHE) 2022–23 के सर्वेक्षण प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। समस्त महाविद्यालय AISHE पोर्टल (http://aishe.gov.in) पर दिनांक 20 फरवरी 2024 तक डेटा/जानकारी अनिवार्य रूप से अपलोड करें, साथ ही संलग्न पत्रानुसार कार्यवाही समय–सीमा में करना सुनिश्चित करें। भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा हेतु नीति निर्माण के लिए इस डेटा का उपयोग किया जाता है।

पोर्टल पर अपलोड करने संबंधी कोई भी जानकारी के लिए विश्वविद्यालय नोडल अधिकारी विभागाध्यक्ष आई.टी.सेन्टर अथवा श्री नन्दकिशोर बुवाडे/श्री जयदीप सिसोदिया आई.टी.सेन्टर को दूरभाष नम्बर 0731–2761358, 9165841223 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

आदेशानुसार
कुलसचिव

पृष्ठांकन क्र./डी.सी.डी.सी./AISHE जानकारी/2024/493 दिनांक 12 FEB 2024
प्रतिलिपि :–

1. स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, रूसा, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, 192, एवीएन टॉवर, ज़ोन 1, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर संभाग, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. कुलपतिजी के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक दे.अ.वि.वि. इन्दौर।
4. विभागाध्यक्ष, आई.टी. सेन्टर की ओर सूचनार्थ एवं वि.वि. की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
5. उप–कुलसचिव, (प्रशा/गोपनीय/शैक्ष/परीक्षा) दे.अ.वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

डी.सी.डी.सी.